न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेडा, जिला भीलवाड़ा

(बईजलास श्री रतनलाल रेगर आर ए एस)

प्रकरण संख्या 49/2012 राजस्व प्रा.पत्र

1 मांगु पिता गोमा ओड उम्र वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

2 दयाराम पिता गोमा ओड उम्र वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

3 चतरू पिता गोमा ओड उम्र वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

4 सुखा पिता गोमा ओड उम्र वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

5 ऐजी पुत्री गोमा ओड उम्र वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा **प्रार्थीगण**

बनाम

1. उगमा पिता रामलाल जाट उम्र वयस्क निवासी सुभाषनगर, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
2. काना पिता केला ओड (मृतक के बजाय कायम मुकामान)

2/1 श्रीमति धापू बेवा काना ओड उम्र वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

2/2 नन्दा ओड पिता स्व0 काना ओड उम्र वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

2/3 शंभु ओड पिता स्व0 काना ओड उम्र वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

2/4 डालु पिता स्व0 काना ओड उम्र वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

3. उगमा पिता केला ओड उम्र वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4. सोहन पिता मगना ओड उम्र वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
5. कालु पिता मगना ओड उम्र वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
6. चुन्नीलाल पिता मगना ओड उम्र वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
7. शोभालाल पिता मगना ओड उम्र वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

8. परसराम पिता मगना ओड उम्र वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
9. डाली पुत्री मगना ओड उम्र वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
10. लादी पुत्री मगना ओड उम्र वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
11. श्रीमति गंगा बेवा मगना ओड उम्र वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
12. पन्ना लाल पिता रामा ओड उम्र वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
13. नानु पिता रामा ओड उम्र वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा
15. उपंपजीयक, पंजीयन कार्यालय बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

वादपत्र अन्तर्गत 88,89,92क,188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::–

श्री अरूण चन्द्र देराश्री – अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री महेश जोशी – अधिवक्ता अप्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट बरण दिनांक 10.06.2017

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने उक्त अनवानी प्रकरण में एक प्रार्थनापत्र दिनांक 24.01.2012 को विरूद्ध विपक्षीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम रूगनाथपुरा की आराजी संख्या 745, 746, 747, 748, 749, 750, 752, 753, कुल किता 8 कुल रकबा 07–15 बीघा विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज है। उक्त आराजीयात की साबिक आराजी संख्या 264/1ख रकबा 07–00 बीघा थे, जो कि जमाबन्दी संवत 2029–2032 में प्रार्थीगण के पिता गोमा पिता धन्ना ओड, तथा विपक्षी संख्या 02, 03 के पिता केला पिता धन्ना ओड व विपक्षी संख्या 04 लगायत 11 के पिता व पति मगना ओड व विपक्षी संख्या 12, 13 के पिता रामा ओड के नाम दर्ज है।

विपक्षी सख्या 02, 03, ने सेटलमेन्ट के दोरान रजास्व कर्मचारीयों से मिलीभगत कर विवादित आराजीयात में प्रार्थीगण के पिता गोमा पिता धन्ना ओड

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

1/4 हक हिस्सा व विपक्षी संख्या 04 लगायत 13 के पिता/पति का 1/2 हक हिस्सा होने व विपक्षी संख्या 02 एंव 03 का 1/4 हक हिस्सा होने के बावजूद विक्षक्षीगण संख्या 02, 03 के सम्पूर्ण आराजीयात को उनका हक हिस्सा नही होते हुए भी विपक्षी संख्या 01 को विक्रय कर दी, जो कि विधि विरूद्ध है। प्रार्थीगण को विवादग्रस्त आराजीयात से जबरन बल पर बेदखल करने व आराजी को किसी अन्य को रहन विक्रय हस्तांतरण/खुर्द बुर्द करने पर आमादा है।

जिसके सम्बंध में प्रार्थी/वादीगणों ने अपने अपने हक एवं अधिकारों की घोषणा के लिए राजस्व वाद प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 326/2012 होकर जैर कार्यवाही है। इसी के साथ प्रार्थीगण ने एक प्रार्थनापत्र विवादित आरजीयात के रेकार्ड एवं मौके की मूल वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाई रखी जाने का आदेश विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध पारित किये जाने की अस्थाई निषेद्याज्ञा मोजूदा प्रा0पत्र के जरिये चाही गई है।

2. प्रकरण पंजीबद्ध कियाजाकर आज विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षी संख्या–1 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र बाबत स्थगन प्राप्तशुदा होकर रिकार्ड पर है। इसी दौरान प्रकरण को राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम बरण दिनांक 10.06.2017 के लिए पंजीबद्ध किया गया। शिविर के दौरान उभयपक्ष अधिवक्तागणो द्वारा मौजूदा प्रार्थनापत्र बाबत स्थगन में बहस करना चाहने से प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थी के लायक वकील के कथनो का खण्डन करते हुए अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजीयात के हाल आराजी नम्बर साबिक आराजी संख्या 264/2बी से बने है। साबिक आराजी संख्या 264 में से काना, उगमा पिता केला ओड को आवंटन हुई थी और आवंटन से ही विपक्षी संख्या 02, 03 के नाम खातेदारी हक अधिकार से दर्ज हुई जिसके हाल आराजी संख्या 745, 746, 747, 748, 749, 750, 752, 753, कुल किता 8 कुल रकबा 07–15 बीघा बने है। साबिक आराजी संख्या 264/2बी केला के जीवनकाल की नही है बल्कि विपक्षी संख्या 02, 03 की स्वअर्जित आराजीयात है, जो आंवटन से प्राप्त हुई है और साबिक नम्बर 246/2बी से उक्त वादग्रस्त आराजी हाल आराजी 745, 746, 747, 748, 749, 750, 752, 753, कुल किता 8 कुल रकबा 07–15 बीघा विपक्षी संख्या 02, 03 के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज होना देखा और कब्जा भी निरन्तर विपक्षी संख्या 02, 03 का चला हुआ आ रहा था, उक्त सारे तथ्य जांच कर विपक्षी संख्या 01 ने सद्भाविक तौर पर बाजार भाव से प्रतिफल अदा कर विपक्षी संख्या 02, 03 से जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

3. **प्रथम दृष्टया प्रकरण :–**

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाद का अध्ययन एवं मनन किया गया। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। क्योंकि प्रार्थीगणों ने अपने वाद एवं प्रार्थनापत्र के समर्थन में ऐसे कोई दस्तावेज रेकार्ड पर पेश नहीं किये जिससे यह साबित हो कि विवादित आराजीयात के हाल आराजी नम्बर साबिक आराजी संख्या 264/1ख से बने है। बल्कि सलग्न जमाबन्दी व साबिक राजस्व अभिलेख रेकार्ड के परीक्षण करने पर येह पाया कि विवादित आराजीयात के हाल आराजी नम्बर साबिक आराजी संख्या 264/2बी से बने है। साबिच्क आराजी संख्या 264 में से काना, उगमा पिता केला ओड को आवंटन हुई थी और आवंटन से ही विपक्षी संख्या 02, 03 के नाम खातेदारी हक अधिकार से दर्ज हुई जिसके हाल आराजी संख्या 745, 746, 747, 748, 749, 750, 752, 753, बने है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगणों के पक्ष में कोई प्रथमदृष्टया मामला होना नहीं पाया जाता है।

4. **सुविधा का संतुलन** एवं अपूर्णीय क्षति :– जब प्रार्थीगण विवादित आराजीयात के सम्बंध में अपने पक्ष में प्रथमदृष्टया प्रकरण सिद्ध करने में असफल रहें है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पक्ष में किसी भी प्रकार की सुविधा का संतुलन एवं अपुर्णीय क्षति कारित होना नहीं पाया जाता है।

इस प्रकार प्रार्थीगण अपने पक्ष में अस्थाई निषेद्याज्ञा हेतू अपेक्षीत बिन्दू सिद्ध करने में असफल रहे है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र दिनांक 24.01.2012 अर्न्तगत धारा 212 RTA विरूद्ध विपक्षी संख्या–1 के अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा स्वंय वहन करें। प्रार्थीगण के पक्ष में आदेशिका दिनांक 24.01.2012 से विवादित आराजीयात के रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने सम्बंधी आदेश को एतद् द्वारा निष्प्रभावी घोषित किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार बनेडा एवं पटवारी हल्का बरण को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेडा
जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं पालनार्थ :– तहसीलदार बनेडा/ पटवारी बरण

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)